निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 61/2021
दायरा दिनांकः–30.07.2021
निर्णय दिनांकः– 30.9.24

उनवान

बरधी बाई आयु 55 वर्ष पत्नि जमनालाल पुत्री हीरा जाति मेघवाल निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा हाल निवासी गणेश जी मोहल्ला सालपुरा रोड अटरू जिला बारां राज.

बनाम

1. बद्रीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र हीरा
2. हजारीलाल आयु 48 वर्ष पुत्र हीरा
3. कंवरी बाई आयु 75 वर्ष पत्नि हीरा (मृतक)
4. इंद्रजीत आयु 35 वर्ष पुत्र घांसी
5. रामसागर आयु 30 वर्ष पुत्र घांसी
6. अरविन्द आयु 28 वर्ष पुत्र घांसी
7. चन्द्रकला आयु वर्ष पत्नि घींस्या जातियान मेघवाल निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. बिमला आयु 38 वर्ष पुत्री घांसी पत्नि नारायण जाति मेघवाल निवासी ग्राम बल्हारपुर हाल निवासी खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,91ए,92,183 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 30.9.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री बृजराज सिंह राजावत – वादी
2. श्री अजय श्री वास्तव – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि खाता संख्या 117 की खसरा नं0 18 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 118 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नं0 119 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 217 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 221 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 223 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 237 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं0 239 रकबा 11 बिस्वा, ख० नं0 294 रकबा 17 बिस्वा, ख० न० 328 रकबा 13 बिस्वा ख० न0 352/2 रकबा 1 बिस्वा, कुल किता 11 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा एवं खाता संख्या 186 की ख० न० 94 रकबा 9 बीघा, ख० न० 95 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, ख० न० 96 रकबा 9 बिस्वा, कुल किता 3 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा । वाके माल बल्हारपुर तह० छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है। वाद पत्र के मद न० 1 में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आराजी में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी को मौके पर पैमाइश करवाकर राजस्व रिकार्ड में तरमीम कर बँटवारा वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य बराबर–बराबर हिस्सों में नियमानुसार बँटवारा किया जावे व राजस्व रिकार्ड में बराबर–बराबर हिस्सों में नाम इन्द्राज किया जावे। मुझ वादिया द्वारा चार वर्ष पहले मेरे कब्जे काश्त की आराजी को प्रतिवादीगण को मुनाफा काश्त पर प्रतिवर्ष दी जाती है। लेकिन प्रतिवादीगण ने ना तो मुझे मुनाफा काश्त का रुपया दिया और ना ही जमीन से कब्जा छोडा तथा मेरे हिस्से की जमीन पर मौके पर कब्जा कर रखा है। जब वादिनी कब्जा करने गई तो प्रतिवादीगण ने वादिया में बुरी–बुरी गालियां निकाली और मारने दौडे। इंतकाल सं0 117 से व इंतकाल संख्या.. से बॉट बरावर हिस्सा घींस्या, हजारी, बद्री पुत्र हीरा व कंवरी बेवा हीरा के नाम मद न0 1 में वर्णित आराजी पर घींस्या, हजारी, बद्री व कंवरी बेवा हीरा का नाम इन्द्राज हुआ तथा बिरधीबाई का मद न० 1 में वर्णित आराजी पर नाम इन्द्राज नहीं हुआ। प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आने की वजह से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर वादिया विरधीबाई का नाम इन्द्राज कराने / प्रतिवादीगण ने नहीं चाहा और मौके का लाभ उठाते हुए उक्त वाद की मद न० 1 में वर्णित समस्त आराजी पर से मुझ वादिया का नाम इन्द्राज नहीं हुआ। जबकि खाता संख्या 137 की आराजियात शेखापुर माल में स्थिति है। जिस पर मुझ वादिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी मेरी पैत्रिक आराजी है। जिस पर कानूनी रुप से मेरा हक व अधिकार है। लेकिन प्रतिवादीगण ने षडयंत्रपूर्वक तरीके से इंतकाल खुलवा लिया व मुझ वादिनी का नाम इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में नहीं कराकर मुझ वादिया के हिस्से की आराजी पर प्रतिवादीगण ने अपना नाम इन्द्राज करवा लिया, जो गलत है तथा विधि विरुद्ध है। उक्त आराजी मद न0 1 में वर्णित आराजी पर सजरा के अनुसार नाम इन्द्राज होना चाहिए था, उक्त आराजी पर मुझ वादिया जब इस वर्ष मुआवजा राशि लेने गई तो पटवारी व अन्य राजस्व कर्मचारियों से पता चला कि वादिनी का नाम मात्र शेखापुर की जमीन में है। वहीं की मुआवजा राशि आपको (वादिनी) को मिलेगी। ग्राम बल्हारपुर की जमीन पर वादिनी का नाम नहीं है। तब मुझ वादिनी को पता चला कि प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड में मुझ वादिनी का नाम इन्द्राज नहीं होने दिया। तब वाद कारण पैदा हुआ। मद न० 1 में वर्णित आराजी पर मुझ वादिया का नाम इन्द्राज होना अति आवश्यक है। प्रतिवादीगण ने मुझे मेरे कानूनी अधिकारों से वंचित कर दिया है। ऐसी स्थिति में मुझे यदि उक्त आराजी में हिस्सा नहीं मिला तो मुझ वादिया को अपरिमेय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति असम्भव है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 137 नकल जमाबन्दी बल्हारपुर सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 117 नकल जमाबन्दी ग्राम बल्हारपुर सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 186 नकल जमाबन्दी ग्राम बल्हारपुर सम्वत् 2033–36 खाता संख्या नकल जमाबन्दी ग्राम बल्हारपुर सम्वत् 2033–36 पेश की गई। साक्ष्य वादी पेश नही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा में स्थित है। वादीया अपने हिस्से की भूमि का अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का बटवारा कराना चाहती है भूमि का बटवारा का राजस्व रिकार्ड में बराबर–बराबर हिस्सों में इन्द्राज किया जावे। वादिया द्वारा अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण को मुनाफा काश्त पर दी गई परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादीया को मुनाफा काश्त का पैसा भी नही दिया और मेरी जमीन से कब्जा भी नही छोडा मेरी भूमि पर कब्जा कर रख है पिता हीरा की मृत्यु होने के बाद फोती नामान्तरण खोला गया फोती नामान्तरण खोलते सयम ग्राम शेखापुर की भूमि में वादीया का नाम दर्ज कर दिया तथा ग्राम बल्हारपुर की भूमि में वादीया का नाम दर्ज नही किया गया। ग्राम बल्हारपुर की भूमि में भी वादीया का नाम दर्ज किया जावे। वादीया का वाद स्वीकार किया जावे। वादीया को उसके हिस्से तक खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया। वादीया का वाद स्वीकार करने में प्रतिवादीगण को कोई आपात्ति नही है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 137 में मोहनलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/3 घांसी, बद्रीलाल हजारी पुत्र हीरा बरधी बाई पुत्री हीरा, कंवरी बाई पत्नि हीरा हिस्सा 1/3 दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम नम्बर 11 से 13 में घांसी के स्थान पर उनके वारिस इन्द्रजीत,रामसागर अरविन्द पुत्र विमला बाई पुत्री चन्द्रकान्ती पत्नि स्व0 घांसी का नाम नामान्तरण संख्या 690 दिनांक 05.09.2016 से नाम दर्ज करने का नोट अंकित है नकल जमाबन्दी ग्राम बल्हारपुर सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 117 एवं खाता संख्या 186 में घांसी, बद्री, हजारी पुत्र हीरा कंवरी बेवा हीरा हिस्सा 1/3 दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम नम्बर 11 से 13 में नामान्तरण संख्या 648 दिनांक 05.09.2016 से मृतक घांसी के स्थान पर उसके वारिस इन्द्रजीत रामसागर, अरविन्द पुत्र विमला बाई पुत्री चन्द्रकान्ती पत्नि स्व0 घासी का नाम दर्ज करने को नोट अंकित है इससे यह साबित होता है कि ग्राम शेखापुर की भूमि में वादीया का नाम दर्ज है तथा ग्राम बल्हारपुर की भूमि में नामान्तरण खोलते समय वादीया का नाम छोड दिया गया। वादिया द्वारा सम्पूर्ण सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया है खाता संख्या 186 में रिज्यूमशन दर्ज है रिज्यूमशन हटाने के सम्बन्ध में अनुतोष नही चाहा है चुंकि रिज्यूमशन माफियात खसरे वर्तमान में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है बिना रिज्यूमशन हटाने खातेदारी का अनुतोष दिया जाना सम्भव नही है वादिया द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा नामा गलत खोलने अर्थात् बिरधी बाई का नाम छुटने के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाही है इसमें वादीया यह साबित करने मे विफल रही है कि किस आधार पर नामान्तरण को खारिज करवाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा पाने की हकदार है वादिया द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रस्तुत साक्ष्यों/दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित नही होने से वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीया का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

...ालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

...संख्या 61 / 2021	धारा 53,88,91ए,92,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 30.09.2024
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री बृजराज सिंह राजावत–वादी		अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री अजय श्रीवास्तव

<u>वाद शीर्षक</u>

<u>उनवान</u>

बरधी बाई आयु 55 वर्ष पत्नि जमनालाल पुत्री हीरा जाति मेघवाल निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा हाल निवासी गणेश जी मोहल्ला सालपुरा रोड अटरू जिला बारां राज.

बनाम

1. बद्रीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र हीरा
2. हजारीलाल आयु 48 वर्ष पुत्र हीरा
3. कंवरी बाई आयु 75 वर्ष पत्नि हीरा (मृतक)
3. इंद्रजीत आयु 35 वर्ष पुत्र घांसी
4. रामसागर आयु 30 वर्ष पुत्र घांसी
5. अरविन्द आयु 28 वर्ष पुत्र घांसी
6. चन्द्रकला आयु वर्ष पत्नि घींस्या जातियान मेघवाल निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. बिमला आयु 38 वर्ष पुत्री घांसी पत्नि नारायण जाति मेघवाल निवासी ग्राम बल्हारपुर हाल निवासी खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा जिला बारा (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीया का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **30.09.2024** को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां (राज0)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अगिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअगिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		